संख्या– 497 /2022/3086/001-41-2022-15-Jila yojana-2021 TC

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2022**

विषय:-जिला योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी, भदोही एंव सोनभद्र में स्थित स्थलों के पर्यटन विकास हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, पर्यअन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-3875/ 7-1-1 (जि0यो0/द्वितीय किश्त-यू0सी0/2021-22 दिनांक 31 अगस्त, 2022 एवं पत्र सं0-4070/ 7-1-1 (जि0यो0/द्वितीय किश्त-यू0सी0/2021-22 दिनांक 06 सितम्बर, 2022, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,

2. जिला योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी, भदोही एंव सोनभद्र में स्थित स्थलों के पर्यटन विकास कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-147/2022/आई/150165/41-1002/11/ 2021-15 (जि0यो0)/2021 दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा पृथक-पृथक चयनित कार्यदायी संस्थाओंसे गठित आगणनों के परीक्षणोंपरान्त आंकलित की गयी लागत के सापेक्ष योजना की प्रशासकीय एवं अवमुक्त की गयी वित्तीय स्वीकृति का विरण निम्नवत् है:-

क्र	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति	अवमुक्त धनराशि
1	जनपद मैनपुरी में स्थित च्यवन ऋषि आश्रम ग्राम करहल का पर्यटन विकास कार्य।	यूपीसिडको	9.43 (जी0एस0टी0 सहित)	3.00
2	जनपद भदोही में भिदिउस, ज्ञानपुर स्थित संकट मोचन/भूतनाथ त्रिवेदी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	यूपीसीएल	7.46 (जी0एस0टी0 सहित)	3.00
3	जनपद सोनभद्र में स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास	यूपीसीएल	10.08 (जी0एस0टी0 सहित)	3.00

3- तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 31 अगस्त, 2022 एंव दिनांक 06 सितम्बर,2022द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख उपलब करातेहुए प्रश्नगत योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत प्रायोजनाओं हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित निविदा लागत पर सेन्टे एवं लेबर सेस को जोड कर प्रायोजनाओं की कुल लागत से अब तक अवमुक्त धनराशि को घटाते हुए प्रायोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	योजना का नाम	टेण्डर लागत	सेन्टेज चार्ज	लेबर सेस	प्रायोजना की कुल लागत	अब तक अवमुक्त की गयी वित्तीय स्वीकृति	प्रायोजना की कुल लागत में से अब तक अवमुक्त वित्तीय स्वीकृति की घटाने के उपरान्त **द्वितीय किश्त की धनराशि**
1	जनपद मैनपुरी में स्थित च्यवन ऋषि आश्रम ग्राम करहल का पर्यटन विकास कार्य।	7,52,158.00	94,020.00,	7,522.00	8,53,700.00 + GST	3,00,000.00	**5,53,700.00**
2	जनपद भदोही में ग्राम भिदिउस, ज्ञानपुर स्थित संकट मोचन/भूतनाथ/त्रिवेदी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	5,88,792.00	73,599.00	5,888.00	6,68,279.00 + GST	3,00,000.00	**3,68,279.00**
3	जनपद सोनभद्र में स्थित गोरी शंकर महादेव मंदिर का पर्यटन विकास।	8,07,133.00	1,00,892.00	8,071.00	9,16.096.00 +GST	3,00,000.00	**6,16,096.00**
				कुल धनराशि का योग			**15,28,075.00 (रूपये पन्द्रह लाख अडतीस हजार पचहत्तर मात्र)**

(1) प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 25-03-2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है तथा निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी भी दशा में प्रायोजनाओं की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि का भुगतान न हो तथा निविदा लागत के सापेक्ष (लेबर सेस, सेन्टेज, जी0एस0टी0 वास्तविकएवं उक्त के सापेक्ष अन्य मदों का वास्तविक व्यय का नियमानुसार अनुमन्य भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि काव्ययवित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरणके बाउचर संख्या एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजनाओं में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकि अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजनाओं को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अघतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस -2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून,2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बिन्धत व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना मे निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्त्रोतो से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रायोजन की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्यसरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजनाओं में द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजनाओं के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 15,38,075 (रूपये पन्द्रह लाख अडतीस हजार पचहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 544522801040900 पर्यटन स्थलों का विकास (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्निलखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/मैनपुरी/भदोही/सोनभद्र।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
6. संयुक्त निदेशक, पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा।
7. उप निदेशक, पर्यटन/ आहरण वितरण अधिकारी, वाराणसी।
8. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसिडको, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता, यूपीसिडको, मैनपुरी।
14. परियोजना प्रबन्धक, यूपीपीसीएल, भदोही, सोनभद्र।
15. गार्ड- फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in